

न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या

प्रवेश तिथि

निर्णय दिनांक

13/14/2025

30.01.2025

12.02.2025

1-ग्राम पंचायत मीरका जरिये सचिव ग्राम पंचायत मीरका पंचायत समिति व तहसील किशनगढबास जिला खैरथल-तिजारा (राज0)

निगरानीकार

बनाम

1-पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र मीरका जरिये मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी खैरथल जिला खैरथल-तिजारा (राज0)

अनिगरानीकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज एक्ट 1994 पट्टा संख्या 05 बुक संख्या 34 दिनांक 07.09.2021

उपस्थित:-

01. श्री अजयराज यादव

- वकील निगरानीकार

02

- निगरानीकार उपस्थित

---:: निर्णय ::---

वकील निगरानीकार द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र अनिगरानीकार पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र मीरका जरिये मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी खैरथल जिला खैरथल-तिजारा (राज0) को जारी पट्टा संख्या 05 बुक न0 34 दिनांक 07.09.2021 क्षेत्रफल 2074 वर्गगज ग्राम मीरका ग्राम पंचायत मीरका पंचायत समिति किशनगढबास जिला खैरथल-तिजारा। से व्यथित होकर पेश की है। निगरानी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनिगरानीकार को जर्ज नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील निगरानीकार द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दूओ को दोहराते हुऐ निवेदन किया है, कि मिन निगरानीकार द्वारा अनिगरानीकार पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र मीरका जरिये मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी खैरथल जिला खैरथल-तिजारा (राज0) के पक्ष में एक पट्टा संख्या 05 बुक न0 34 दिनांक 07.09.2021 को भवन निर्माण हेतु 2074 वर्गगज ग्राम मीरका ग्राम पंचायत मीरका पंचायत समिति किशनगढबास जारी किया गया है। अनिगरानीकार पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र मीरका जरिये मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी खैरथल जिला खैरथल-तिजारा (राज0) द्वारा पट्टा जारी करने के पश्चात न तो कब्जा प्राप्त किया गया है, न ही उक्त जायदाद की भविष्य में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र मीरका हेतु भवन निर्माण की कोई योजना है। निगरानीकार द्वारा अनिगरानीकार के पक्ष में पट्टा जारी करने के पश्चात अनिगरानीकार से बार-बार कब्जा लेकर भवन निर्माण के लिये कहा गया किन्तु अनिगरानीकार ने साफ ईन्कार कर दिया कि न तो हमें पट्टे की आवश्यकता है, और न ही इस जायदाद पर भवन/कार्यालय निर्माण कर सकते है। दिनांक 27.06.2024 को ग्राम पंचायत मीरका कार्यालय पर सरपच की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 15 (32) पश्वि./32489 जयपुर दिनांक 26.06.2024 के आदेश के तहत काफी बिन्दूओ पर चर्चा की गयी, ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के सदस्यगण, कर्मचारिगण व जनप्रतिनिधि बैठक में मौजूद हुऐ। उक्त बैठक में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र मीरका को भवन निर्माण हेतु जो पट्टा 05 बुक न0 34 दिनांक 07.09.2021 जारी किया गया है, का विभाग द्वारा कब्जा नही लिये जाने तथा भवन निर्माण की आवश्यकता नही होने के कारण पट्टा निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा

किशनगढबास
पंचायत समिति

ह।

है कि निर्णय 27.6.2024 को ग्राम पंचायत मीरका के कार्यालय पर सरपच

लिया गया। अनिगरानीकार के द्वारा जारी पटटे के पंजीयन की भी मियाद भी गुजार दी। अतः निगरानीकार द्वारा अनिगरानीकार पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र मीरका जरिये मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी खैरथल जिला खैरथल-तिजारा (राज0) को जारी पटटा संख्या 5 दिनांक 07.09.2021 बुक न0 34 क्षेत्रफल 2074 वर्गगज ग्राम मीरका ग्राम पंचायत मीरका पंचायत समिति किशनगढबास जिला खैरथल-तिजारा को खारिज किया जावे।


अनिगरानीकार उपस्थित होकर अपना जबाव पेश कर निवेदन किया गया है, कि विभाग के नाम जारी पटटा संख्या 5 बुक न0 34 दिनांक 07.09.2021 क्षेत्रफल 2074 वर्गगज ग्राम मीरका ग्राम पंचायत मीरका को खारिज किया जाकर अन्य किसी जगह का पटटा जारी कर दिया जावे। इसमें विभाग को कोई ऐतराज नहीं है।

विद्वान वकील निगरानीकार/अनिगरानीकार की बहस सुनी गयी, पत्रावली का अवलोकन किया गया। निगरानीकार द्वारा अनिगरानीकार पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र मीरका जरिये मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी खैरथल जिला खैरथल-तिजारा (राज0) को पटटा संख्या 5 दिनांक 21.07.2023 बुक न0 34 दिनांक 07.09.2021 क्षेत्रफल 2074 वर्गगज ग्राम मीरका ग्राम पंचायत मीरका पंचायत समिति किशनगढबास जारी किया गया है, पटटा जारी करने के पश्चात अनिगरानीकार से बार-बार कब्जा लेकर भवन निर्माण के लिये कहा गया किन्तु अनिगरानीकार ने साफ ईन्कार कर दिया कि विभाग को पटटे की आवश्यकता नहीं है, और न ही जायदाद पर भवन/कार्यालय निर्माण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में निगरानीकार का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है, निगरानीकार द्वारा अनिगरानीकार पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र मीरका जरिये मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी खैरथल जिला खैरथल-तिजारा (राज0) को जारी पटटा संख्या 5 बुक न0 34 दिनांक 07.09.2021 क्षेत्रफल 2074 वर्गगज ग्राम मीरका ग्राम पंचायत मीरका पंचायत समिति किशनगढबास खारिज किया गया है, निर्णय की प्रति तहत अदालत ग्राम पंचायत मीरका जरिये सचिव ग्राम पंचायत मीरका पंचायत समिति तहसील किशनगढबास जिला खैरथल-तिजारा (राज0) को भिजवाई जावे। पत्रावली फौसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

गया।


(किशोर कुमार)
जिला क्लर्क
खैरथल-तिजारा (राज0)